

Name - Subhash chandra guptam

College name - Shakuntalam Institute of Teacher Education.

Sasarami Rohas Bihar

Paper - 5 विद्यालय, संरचना, परिवर्तन और शिक्षक विकास

Unit - 5 [D.E.D 1st year (2019-2020)]

Date -

Topic - संकुल संसाधन केन्द्र

संकुल संसाधन केन्द्र

संकुल या क्लस्टर 8 से 10 विद्यालयों भावि प्राथमिक कक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के समुह को कहते हैं। जिसमें विभिन्न संस्थाएँ अपने संसाधनों, विशेषज्ञों, सामग्री तथा अध्यापन-सहायक सामग्री, इत्यादि का आदान-प्रदान करते एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, और उनका प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं।

संकुल संसाधन केन्द्र से क्लस्टर स्तर पर वही कार्य करता है जो खण्ड संसाधन केन्द्र करते हैं। जिन प्रधानाध्यापक को शामिल क्षेत्र में पंचायत शिक्षा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में संकुल शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, संकुल संसाधन केन्द्र से ही प्रधानाध्यापक के प्रति उत्तरदायी होता है।

संकुल संसाधन केन्द्र की भूमिका

संकुल संसाधन केन्द्र उसके अन्दर आने वाले सभी विद्यालयों का मानदण्ड तैयार करते हैं तथा उसमें उपलब्ध शिक्षक-शिक्षिकाओं का लम्बा-चौड़ा रखते हुए उनकी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का

आदि का आयोजन करते हैं।

संकुल संसाधन केन्द्र की मुख्य भूमिका :-

- ① - विद्यालय निधि का प्रबन्धन और वंटन करवाना।
- ② - संकुल के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में उपस्थित शिक्षकों के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- ③ - विद्यालय को चलाने के लिए नियम तथा क्रियाविधि तैयार करना।
- ④ - नये बिलेबस या पाठ्यचर्चा को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था करना।

संकुल संसाधन केन्द्र के कार्य :-

संकुल संसाधन केन्द्र शिक्षक सशक्तिकरण के रूप में कार्य करता है; जहाँ शिक्षक विद्यालय में उनके द्वारा प्रयुक्त अनुभवों तथा नावाचार पद्धतियों का आदान-प्रदान करते हैं। संकुल संसाधन समय-समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं।
कार्य निम्न है

- ① संकुल के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालयों का निरीक्षण करना।
- ② संकुल के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालयों को फनीषर, उपकरण तथा लेखन-सामग्री का वितरण करना।
- ③ समूह के अन्तर्गत अध्यापकों को स्थान्तरण की प्रक्रिया आरम्भ करना।
- ④ समूह के अन्तर्गत आने वाले समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन वितरण करना।

- 5 ⑤ संकुल के अन्तर्गत आने वाले समूह के छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की स्थानापन्न व्यवस्था करना।
- ⑥ विभिन्न शैक्षिक इकायों को मानना।
- ⑦ पाठ्यचर्यात्मक सामग्री का विकास करना।
- ⑧ समूह के विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों की आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करना।
- ⑨ संकुल के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के घाटे में ऐसी सूचना रकत्रित करना जिसे अपर खण्ड संसाधन संसाधन केन्द्र जिला स्तर पर भेजा जाना।
- ⑩ अध्यापकों की नियमित बैठकों की व्यवस्था करना।
- ⑪ अध्यापन व भाषागत संसाधनों की सुलभता प्रदान करना।
- ⑫ विद्यालयों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना।
- ⑬ अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संकुल संसाधन केन्द्र ग्रामीण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के रक्षाधीन को समाप्त कर देते हैं और इसे सभी से मिलने तथा विद्यार्थी के आदान-प्रदान में मदद करता है। तथा विद्यालयों में अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।